संख्या-77 /2024/ /001-1059-23-12-2024-23-12099-099-115-2021

प्रेषक,

रिपुन्जय गुप्ता,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 11 नवम्बर, 2024

विषय:-लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 के प्रमुख अभियन्ता कार्यालय एवं उससे सम्बन्धित कार्यालयों के डिजिटाईजेशन कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 लखनऊ के पत्रांक-598/एफ-13/डिजिटाइजेशन/कम्प्यू0/2020-21, दिनांक 01.12.2023 तथा पत्रांक-30852/2024 (PWD-EECDOPROJ/25/2023-EECD) दिनांक 16.01.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 के प्रमुख अभियन्ता कार्यालय एवं उससे सम्बन्धित कार्यालयों में पत्रावलियों के डिजिटाइजेशन कार्य हेतु प्रस्तावित/आगणित धनराशि रू0 5,10,70,019.00 (रूपये पॉच करोड़ दस लाख सत्तर हजार उन्नीस मात्र) के क्रम में मुख्यालय के 59 कार्यालयों की सभी पत्रावलियों एवं 63 कार्यालयों के अवशेष पत्रावलियों के डिजिटाइजेशन से सम्बन्धित कार्य हेतु आगणित लागत एवं उसके सापेक्ष सेन्टेज चार्जेज व जी0एस0टी0 (18 प्रतिशत) सहित अग्रतालिका में अंकित कुल धनराशि रू0 4,33,38,741.00 (रूपये चार करोड़ तैंतीस लाख अड़तीस हजार सात सौ इकतालिस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए उक्त सम्पूर्ण धनराशि को अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 में)

क्रम सं0	कार्य का नाम	अवमुक्त धनराशि (जी0एस0टी0 सहित)
1	2	3
1	लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 के प्रमुख अभियन्ता कार्यालय एवं उससे सम्बन्धित कार्यालयों में डिजिटाईजेशन के सम्बन्ध में।	4,33,38,741.00

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उपर्युक्त कार्य पर स्वीकृति इस उपबंध के साथ प्रदान की जाती है कि क्रय सभी अद्यतन लागू वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

(2) प्रश्नगत क्रय सामग्री क्रय नियमों के अनुसार एवं सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्मम अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23.08.2017 एवं शासनादेश सं0-1/2018/868/18-2-2017-2(एस0पी0)/2017, दिनांक 15.01.2018 तथा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के संगत शासनादेशों तथा अन्य समस्त आदेश/प्रक्रिया के अनुसार यथानियम अपेक्षित सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही किया जायेगा।

(3) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2024/बी-1-607/दस-2024-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) इस सम्बन्ध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) सामग्रियों की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्याक्ष, मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी तथा सामग्रियों एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाय।

(7) प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/ मद पर व्यय प्रत्येक दशा में की जायेगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी कार्य योजना में सम्मिलित है।

(9) प्रश्नगत धनराशि का व्यय वर्तमान में प्रचलित समस्त वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

(10) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी।

(11) स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण रूप से किये जाने का प्रमाण पत्र यथासमय उपलब्ध कराया जाय।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) लोक निर्माण विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,33,38,741.00 (रूपये चार करोड़ तैंतीस लाख अड़तीस हजार सात सौ इकतालिस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054808000500 सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबंधन एवं नियोजन के कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-8-289-X-2024-25, दिनांक 23.10.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(रिपुन्जय गुप्ता)
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-77/2024/ /001-1059-23-12-2024-23-12099-099-115-2021 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश में उल्लिखित धनराशि को आवंटित करने का कष्ट करें।

4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

5- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

6- अधीक्षण अभियन्ता, आई0डी0एस0वृत्त, लोक निर्माण विभाग लखनऊ।

7- अधिशासी अभियन्ता कम्प्यूटर सेल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

8- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8

9- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात/ प्रोत्साहन अनु0-2

10- आयुक्त एवं निदेशक (सामग्री क्रय अनुभाग), उ0प्र0 कानपुर।

11- यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0 लखनऊ/कार्यदायी संस्था (द्वारा मुख्य अभियन्ता (मु0-1)।

12- लोक निर्माण अनु0-10

13- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रिपुन्जय गुप्ता)
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।